

आनन्द किशोर, भा.प्र.से.

प्रधान सचिव

Anand Kishor, I.A.S.

Principal Secretary

ब०-15/निधि निकासी एवं व्यय नि०-45/2025/- 235/वि०
सेवा में,



बिहार सरकार

वित्त विभाग

पुराना सचिवालय, पटना-800015

Govt of Bihar,
Finance Department

Old Secretariat, Patna - 800015

Tel. No. - 0612-2215805

Email - finsecy-bih@nic.in

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार।

पटना-15, दिनांक- 01/04/2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि निकासी एवं व्यय नियंत्रण की व्यवस्था के संबंध
में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय पत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-2 में प्रावधान है कि सभी प्रशासी विभाग/नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा योजना तथा गैर योजना मद के अन्तर्गत अपने विभाग से संबंधित सभी शीर्षों में चार-चार माह की अवधि के लिये अपने कार्यालय तथा अधीनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के कार्यालयों के लिये निम्नांकित प्रकार से राशि का आवंटन किया जाना है :-

- (क) 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक बजट से प्रावधानित राशि का 33%,
(ख) 01 अगस्त से 30 नवम्बर तक बजट में प्रावधानित कुल राशि का अतिरिक्त 32% अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि के 65% तक,
(ग) 01 दिसम्बर से 31 मार्च तक बजट में प्रावधानित कुल राशि का अवशेष 35% अर्थात् संचयात्मक रूप से बजट में प्रावधानित कुल राशि का शत-प्रतिशत तक।


समीक्षापरांत वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के दृष्टिकोण से संदर्भित विभागीय पत्र (संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 की कंडिका-2) में निहित चौमाही प्रतिशत बंधेज की शर्तों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्थापना प्रतिबद्ध व्यय एवं स्कीम (दोनों मदों) में निम्नवत शिथिल किया जाता है:-

क्र.	मांग संख्या/विपत्र कोड/इकाई	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	स्कीम
1	सभी मांग/विनियोग	100%	-
2	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (केन्द्रांश) 02 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	-	100%
3	केन्द्र प्रायोजित स्कीम (राज्यांश) 03 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	-	100%
4	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम 04 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	-	100%
5	राज्य स्कीम 01 एवं 05 से शुरू होने वाले उप शीर्ष	-	33%


विश्वासभाजन,

11/4/2025
(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:- ब०-15/निधि निकासी एवं व्यय नि०-45/2025/-235/वि० पटना, दिनांक- ०१/०५/२०२५
प्रतिलिपि:-प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर) ०१/०५/२०२५
प्रधान सचिव ।


ज्ञापांक:- ब०-15/निधि निकासी एवं व्यय नि०-45/2025/-235/वि० पटना, दिनांक- ०१/०५/२०२५
प्रतिलिपि:-विकास आयुक्त, बिहार/पुलिस महानिदेशक, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान
सचिव, राजभवन/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार
विधान परिषद्/माननीय लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय/सचिव, बिहार लोक सेवा
आयोग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर) ०१/०५/२०२५
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक:- ब०-15/निधि निकासी एवं व्यय नि०-45/2025/-235/वि० पटना, दिनांक- ०१/०५/२०२५
प्रतिलिपि:-माननीय उपमुख्य(वित्त) मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना
के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


(आनन्द किशोर) ०१/०५/२०२५
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक:- ब०-15/निधि निकासी एवं व्यय नि०-45/2025/-235/वि० पटना, दिनांक- ०१/०५/२०२५
प्रतिलिपि:-श्री संजीव मित्तल, संयुक्त सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/श्री आलोक कुमार, संयुक्त
आयुक्त-सह-प्रभारी CFMS/सिस्टम एनालिस्ट/ प्रभारी TCS, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचना
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(आनन्द किशोर) ०१/०५/२०२५
प्रधान सचिव ।